# राज्यपाल सचिवालय

राज भवन, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प.1(10)राभ/2016/6592 दिनांकः 05.08.2016

## कार्यवाही विवरण

राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समन्वय समिति की बैठक माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21 जुलाई, 2016 को प्रातः 11.00 बजे राजभवन राजस्थान जयपुर में आयोजित हुई।

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है।

2. सर्वप्रथम सचिव, राज्यपाल ने बैठक में सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को प्रारम्भिक उद्‌बोधन हेतु अनुरोध किया।

3. **माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय ने सभी अधिकारीगण एवं कुलपतिगण का स्वागत करते हुए निम्नांकित बिन्दुओं पर विश्वविद्यालयों की सराहना की :–**

(i) समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा सभी परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं ;

(ii) पुरानी उपाधियाँ एवं मेडल्स का समस्त बैकलॉग पूर्ण किया जाकर नियमित दीक्षांत समारोह आयोजित किए गए हैं ;

(iii) दीक्षांत समारोहों के दौरान भारतीय वेशभूषा को अंगीकृत किया गया है ;

(iv) प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये गये गाँव को "स्मार्ट विलेज" बनाने की दिशा में पर्याप्त कार्यवाही की गई है।

4. तत्पश्चात् सचिव राज्यपाल द्वारा बिन्दुवार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

1. **गत बैठक दिनांक 29.01.16 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदनः–**

कुलपति समन्वय समिति की गत बैठक दिनांक 29.01.16 का कार्यवाही विवरण राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक प.1(46)राभ/2016/1436 दिनांक 23.2.2016 एवं आंशिक संशोधन समसंख्यक 4750 दिनांक 03.6.2016 द्वारा जारी किया गया था।

<u>निर्णयः</u>– गत बैठक का कार्यवाही विवरण की पुष्टि समिति द्वारा सर्वसम्मति से किया गया।

2. गत बैठक दिनांक 29.01.2016 में लिये गये निर्णय की पालना रिपोर्ट की समीक्षा : पालना रिपोर्ट परिशिष्ट – 2 पर संलग्न है।

3. राजकीय विश्वविद्यालयों में दीक्षान्त समारोहों हेतु निर्धारित ड्रेस कोड के संबंध में:–

राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक प.1(46)(ए)राभ/2016/2770 दिनांक 13 अप्रैल, 2016 द्वारा राजकीय विश्वविद्यालयों में दीक्षान्त समारोहों हेतु ड्रेस कोड का निर्धारण किया गया था। उक्त ड्रेस कोड के संबंध में समस्त कुलपतिगण से फीडबैक चाहा गया था। कतिपय कुलपतिगण द्वारा सुझाव दिया गया कि निर्धारित ड्रेस कोड में साफे के स्थान पर स्थानीय परम्परा अनुसार पहने जाने वाली पगड़ी को भी स्वीकृत किया जाना चाहिये।

निर्णय:– माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए यह निर्देश भी प्रदान किये गये कि दीक्षान्त समारोहों के दौरान पहने जाने वाले स्टॉल में एक चमकीला बोर्डर भी रखा जावे।

कार्यकारी विभाग :– समस्त विश्वविद्यालय

4. **Smart Village Initiative के संबंध मे_:-**

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा एक गांव को गोद लिया जाकर स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के संबंध में अब तक की प्रगति पर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए यह सुझाव दिया कि गोद लिये गांव को 2½ वर्ष की समयावधि में विकसित कर एक नया पिछड़ा गांव चयन करें तथा आगामी 2½ वर्ष में दूसरे गांव को भी स्मार्ट विलेज में परिवर्तित करें तथापि प्रथम गांव के विकास प्रकिया को भी निरन्तर ज़ारी रखा जावे।

राजभवन द्वारा जारी पूर्व निर्देश जिसमें प्रत्येक स्मार्ट विलेज में एक तालाब का निर्माण किये जाने की अपेक्षा की गयी थी के संबंध में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापति कर पूर्व में उपलब्ध तालाब का जीर्णोद्धार करावें तथा जिन गांवों में तालाब नहीं है उनमें नया तालाब बनाया

जावे। तालाब निर्माण / पुनरूद्धार में आ रही समस्याओं के संबंध में विश्वविद्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्पर्क कर समस्याओं का समाधान करें।

निर्णयः–

(i) समस्त कुलपतिगण से यह भी अपेक्षा की गयी कि राज्यपाल सचिवालय द्वारा स्मार्ट विलेज इनीशियेटिव के संबंध में ज़ारी निर्देशों /गाईडलाईन्स की अक्षरशः पालना की जावे तथा निर्धारित प्रारूप में समस्त सूचना मासिक प्रगति प्रतिवेदन राज्यपाल सचिवालय को निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत किया जावे।

(ii) वर्तमान में गोद लिये गये गांवों को 2 ½ वर्ष में Smart Village में विकसित कर दूसरा गांव गोद लेवें।

(iii) जिन 12 विश्वविद्यालयों द्वारा अभी तक तालाब निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, वे शीघ्र तालाब निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर 31.8.2016 तक पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

(iv) अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा द्वारा अपने स्तर से समस्त जिला कलेक्टर्स को योजना में विश्वविद्यालयों को सहयोग करने बाबत पुनः पत्र लिखा जाए।

(v) माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा यह भी अपेक्षा की गई कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर उनके संबंद्ध महाविद्यालयों द्वारा गोद लिये गये गांव को स्मार्ट विलेज में परिवर्तित करने के संबंध में हुई प्रगति की मासिक आधार पर नियमित रूप से समीक्षा करें तथा कार्यक्रम को सफल बनावें।

कार्यकारी विभाग :– अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा व समस्त विश्वविद्यालय

5. **उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर गठित "एडवाईजरी ग्रुप की" रिपोर्ट पर चर्चाः–**

राजभवन के आदेश कमांक प.1(46)(b)RB/2015/3391 दिनांक 3 मई 2016 द्वारा राज्य में उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं/ समस्याओं पर विचार कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु कुलपति केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, निदेशक, मालवीया नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, जयपुर, कुलपति जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर आदि को सम्मिलित करते हुए "एडवाइजरी ग्रुप" का गठन किया गया था। एडवाइजरी ग्रुप द्वारा अपनी रिपोर्ट राजभवन को प्रस्तुत कर दी गयी थी जिसे समस्त कुलपतिगण को अध्ययन हेतु दिनांक 13.06.2016 को प्रेषित किया गया था। समस्त कुलपतिगण द्वारा एडवाइजरी ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट एवं सिफारिशों को एक प्रशंसनीय शुरूआत मानते हुए उक्त रिपोर्ट के विस्तृत अध्ययन एवं तत्पश्चात उस पर चर्चा किये जाने हेतु थोड़ा समय दिये जाने का आग्रह किया गया।

<u>निर्णयः–</u> माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए निर्देश प्रदान किये गये कि समस्त विश्वविद्यालय उक्त रिपोर्ट के संबंध में अपने सुझाव **दिनांक 31.8.2016 तक** राजभवन को प्रस्तुत करें।

<u>कार्यकारी विभाग</u> :– समस्त विश्वविद्यालय

6. **विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु योग्यताओं का निर्धारण व भर्ती नियमों तथा सेवा नियमों की समीक्षा के संबंध मेंः–**

राजभवन स्तर पर उपरोक्तानुसार बिन्दुओं पर विचार–विमर्श हेतु "ग्रुप ऑफ रजिस्ट्रार्स" का गठन किया गया था जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार्स से दो चरणों में दिनांक 24.05.16 व दिनांक 16.06.16 को चर्चा की गयी। उक्तानुसार "ग्रुप ऑफ रजिस्ट्रार्स" द्वारा प्रस्तुत की गयी सिफारिशों को टिप्पणी हेतु राज्य सरकार एवं संबंधित विश्वविद्यालयों को दिनांक 23.06.16 को प्रेषित किया गया। बैठक में "ग्रुप ऑफ रजिस्ट्रार्स" की रिपोर्ट पर चर्चा उपरान्त समस्त कुलपतिगण से उनके दृष्टिकोण चाहा गया।

इस संबंध में समस्त कुलपतिगण द्वारा आग्रह किया गया कि चूंकि "ग्रुप ऑफ रजिस्ट्रार्स" द्वारा जो सिफारिशें की गयी हैं वे भर्ती की योग्यताओं, भर्ती नियमों तथा सेवा नियमों जैसे महत्वपूर्ण विषयों एवं दूरगामी प्रभावों वाली हैं अतः उक्त सिफारिशों का समुचित रूप से अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। कुलपतिगण द्वारा इस संबंध में थोड़ा और समय दिये जाने का आग्रह किया गया।

<u>निर्णयः–</u> माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए निर्देश प्रदान किये गये कि आगामी **दिनांक 31.8.2016 तक** समस्त कुलपतिगण द्वारा इन सिफारिशों पर अपनी टिप्पणी राजभवन को उपलब्ध करावें।

<u>कार्यकारी विभाग</u> :– समस्त विश्वविद्यालय

7. **राजकीय विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों का डिजिटाईजेशन एवं मॉडर्नाईजेशनः–**

राज्य के विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों का प्रबन्धन अभी तक मानवीय आधार पर किया जा रहा है जबकि पुस्तकालयों के डिजिटाईजेशन एवं मॉडर्नाईजेशन की दिशा में उल्लेखनीय विकास हो चुका है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय सचिवालय द्वारा इस दिशा में किये गये कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं।

डॉ. रमेश सी. गौड़, विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा पुस्तकालयों के डिजिटाईजेशन एवं मॉडर्नाईजेशन की तकनीकी पर एक प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया तथा इस दिशा में कुलपतिगण को मार्गदर्शन दिया गया।

<u>निर्णय</u> :– माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा इस दिशा में किये गये कार्यों की प्रशंसा करते हुए डॉ. रमेश सी गौड़ द्वारा दिये गये प्रजेन्टेशन व मार्गदर्शन को उपयोगी बताते हुए समस्त कुलपतिगण से अपेक्षा की कि वे अपने विश्वविद्यालय के

पुस्तकालयों को मॉडर्नाईज व डिजिटाईजेशन करने की दिशा में गंभीर एवं प्रभावी कदम उठावें।

कार्यकारी विभाग :– समस्त विश्वविद्यालय

8. **इन्टीग्रेटेड हायर एजूकेशन पोर्टल पर राजकीय विश्वविद्यालयों द्वारा भाग लिये जाने बाबतः–**

गत कुलपति समन्वय समिति बैठक दिनांक 29.01.2016 में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे कि समस्त विश्वविद्यालय राज्य सरकार के इन्टीग्रेटेड हायर एजूकेशन पोर्टल कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे परन्तु DOIT&C एवं विश्वविद्यालयों के मध्य अपेक्षा अनुसार समन्वय नहीं होने के कारण इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। इस संबंध में सचिव, राज्यपाल के स्तर पर DOIT&C के अधिकारियों के साथ 2 बार बैठकें आयोजित हुई तथा माह जुलाई 2016 में DOIT&C तथा कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों के IT प्रभारियों एवं परीक्षा कार्यों से चयन अधिकारियों के साथ एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाकर कार्यक्रम के कियान्वयन में आ रही समस्याओं को दूर किया जाकर आपसी सामन्जस्य स्थापना करने का प्रयास किया गया। वर्कशॉप की कार्यवाही एवं निर्णय की प्रति समस्त कुलपतिगण को प्रेषित की जा चुकी है।

इस संबंध में DOIT&C से श्री आशुतोष देशपाण्डे, निदेशक तकनीकी एवं सुश्री ज्योति लुहाड़िया, संयुक्त निदेशक, DOIT&C द्वारा इस विषय पर पुनः प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :–

(i) बैठक में निर्णय लिया गया कि DOIT&C द्वारा तैयार किये गये समस्त टेमप्लेटस विश्वविद्यालयों को प्रेषित किये जायेंगे तथा विश्वविद्यालय इन टेमप्लेटस का प्रायोगिक आधार पर उपयोग कर इसमें आ रही समस्याओं की सूचना DOIT&C को उपलब्ध करायेंगे।

(ii) समस्त विश्वविद्यालय इस संबंध में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त कर इसकी सूचना दिनांक 15.8.2016 तक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, DOIT&C तथा राजभवन को देंगे।

(iii) माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा पुनः निर्देश दिये गये कि समस्त विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार के इस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लिया जाकर समस्त जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करानी है तथा संबंधित सेवाएं online प्रारम्भ कीं जानी है।

कार्यकारी विभाग :– समस्त विश्वविद्यालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग व DOIT&C

**9. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना रिपोर्टः–**

**(1) विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने के संबंध मेंः–**

राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक प.1(23)राभ/2016/3906 दिनांक 16.5.2016 द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में पूरे समय में राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

विश्वविद्यालयवार समीक्षा किये जाने पर प्रकट हुआ कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में पर्याप्त कार्यवाही की गई है तथा अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय की कार्य योजना अनुसार कार्य किया जावे। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय को निर्देश दिये गये कि उनके विश्वविद्यालय द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही तथा भावी कार्य योजना का विवरण समस्त विश्वविद्यालयों को प्रेषित किया जावे जिसके अनुरूप अन्य विश्वविद्यालय भी कार्यवाही कर निर्देशों की पालना करे। इस कम में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 21.07.2016 को समस्त विश्वविद्यालयों को उक्तानुसार कार्य योजना एवं निर्देश को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दिये गये हैं।

कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया कि चूंकि उनके विश्वविद्यालयों के अभी तक स्वयं के भवन तैयार नहीं हुए हैं। अतः पूरे समय विश्वविद्यालय के वर्तमान अस्थायी भवन में व्यवस्था किया जाना उचित नहीं होगा। इस संबंध में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि ऐसे प्रकरणों में अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अपने स्तर पर समीक्षा कर उचित निर्णय लेवें।

<u>निर्णय</u> :– माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश दिये कि समस्त विश्वविद्यालय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संबंध में राजभवन के निर्देशों की दिनांक **30 नवम्बर, 2016** तक पालना सुनिश्चित करें।

<u>कार्यकारी विभाग</u> :– समस्त विश्वविद्यालय एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव

**(2) विश्वविद्यालय का कुलगीतः–**

राज्यपाल सचिवालय के समसंख्यक पत्रांक 3907 दि. 16.5.16 द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलगीत तैयार किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। निर्देशों की पालना में कतिपय विश्वविद्यालयों ने अवगत कराया कि कुलगीत पहले से प्रचलन में है तथा शेष विश्वविद्यालय अभी कुलगीत तैयार करने की प्रकिया में है।

**निर्णयः**– माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय ने पुनः निर्देशित किया कि समस्त विश्वविद्यालय दिनांक **30 नवम्बर 2016** तक अपना कुलगीत तैयार कर राज्यपाल सचिवालय को अनुपालना प्रेषित करें।

<u>कार्यकारी विभाग</u> :– समस्त विश्वविद्यालय

**(3) महान व्यक्तित्व पर शोधपीठ के संबंध मेंः–**

राज्यपाल सचिवालय के समसंख्यक पत्रांक 3905 दि. 16.05.16 तथा 4391 दि. 27.05.16 द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय में राज्य के किसी महान व्यक्तित्व पर शोधपीठ की स्थापना करने के निर्देश दिये गये थे। विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार हालांकि पुराने विश्वविद्यालयों में पूर्व से ही शोधपीठ

स्थापित है परन्तु राजस्थान के किसी महान व्यक्तित्व पर शोधपीठ स्थापित नहीं है।

<u>निर्णयः—</u> माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त विश्वविद्यालय इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही कर दिनांक **30 नवम्बर 2016** तक शोधपीठ की स्थापना कर राज्यपाल सचिवालय को अवगत करावें।

<u>कार्यकारी विभाग</u> :— समस्त विश्वविद्यालय

10. **नये स्थापित विश्वविद्यालयों के सम्पत्तियां/दायित्वों के मूल विश्वविद्यालय से बंटवारे के संबंध में:—**

वर्ष 2012—13 में राज्य सरकार द्वारा कुछ नवीन विश्वविद्यालयों का गठन किया गया था जिनके क्षेत्राधिकार पुराने विश्वविद्यालयों में से निर्धारित किये गये थे इनमें मुख्य रूप से कृषि एवं कुछ सामान्य विश्वविद्यालय हैं जिनके बीच उनके पैत्रक विश्वविद्यालयों से सम्पत्तियां/दायित्वों (Assets/Liabilities) के बंटवारे के संबंध में विवाद है।

<u>निर्णय :—</u> माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि संबंधित कुलपतिगण आपस में एक बैठक आयोजित कर उक्त समस्त विवादों का निस्तारण करें तथा एक संयुक्त रिपोर्ट दिनांक **31 अगस्त 2016** तक राजभवन को प्रस्तुत करें।

<u>कार्यकारी विभाग</u> :— संबंधित विश्वविद्यालय

11. इसी प्रकार हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय, जयपुर का राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में विलय संबंधी प्रकरण की भी समीक्षा की गई।

<u>निर्णय :—</u> माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा राज्य सरकार के निर्णय अनुसार विलय प्रकिया को शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश प्रदान किये। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर व कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जन

संचार विश्वविद्यालय, जयपुर संयुक्त रूप से बैठक कर उक्त प्रकिया को शीघ्र सम्पादित करावें।

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग दिनांक **25.7.2016** तक माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करेंगे।

कार्यकारी विभाग :– अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय व कुलपति, हरिदेव जोशी जन संचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय

**12. माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा कतिपय सुझाव दिये गये जो निम्नानुसार है:–**

**(i) विश्वविद्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना :–**

माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि हॉल ही में राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद में 20 कि.वा. का सोलर प्लाण्ट लगाया गया है जिसमें REECL द्वारा अनुदान भी दिया गया है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की स्वच्छ ऊर्जा एवं ऊर्जा क्षेत्र में आत्म निर्भरता की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालयों को भी सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाकर गैर परम्परागत ऊर्जा श्रोतों के विकास एवं धन की बचत की जानी चाहिए।

**(ii) मूक बधिर विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा :–**

गत बैठक में अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने के निर्णय की निरन्तरता में समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों द्वारा अब मूक–बधिर विद्यार्थियों को बिना मेरिट के सीधे प्रवेश एवं निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

**(iii)रक्तदान शिविर आयोजित करना :–**

राज्य सरकार द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्म दिवस 25 सितम्बर, 2016 एवं श्री सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी

2017 को राजकीय महाविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में रक्त दान शिविर आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। समस्त विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की गई कि वे उक्त दिवसों को अपने यहां रक्तदान शिविर आयोजित किये जाने की समुचित व्यवस्था करावें।

**(iv)सामाजिक सरोकार के कार्य करने वाले विद्यार्थियों को पी.जी. प्रवेश में वरीयता :–**

किसी विद्यार्थी द्वारा लगातार 3 वर्ष तक सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में रक्तदान करने पर 1 प्रतिशत का लाभांश, लगातार 3 वर्ष तक प्रति वर्ष एक निरक्षर को साक्षर करने के साक्षरता विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ½ प्रतिशत एवं लगातार 3 वर्ष तक अपने अध्ययन के उपरांत सभी पाठ्य पुस्तकें कालेज के बुक बैंक में जमा कराने पर ½ प्रतिशत का लाभांश संबंधित विद्यार्थियों को पी.जी. प्रवेश के दौरान प्रदान किये जाने की राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारित की जाकर कियान्वयन किया जा रहा है।

समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि विश्वविद्यालयों में भी पी.जी. प्रवेश के दौरान राज्य सरकार की उक्त नीति के अनुरूप प्रवेश में वरीयता प्रदान की जाव।

**(v) विश्वविद्यालयों में विवेकानन्द की मूर्ति की स्थापना :–**

राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों में देश भक्ति से ओत–प्रोत वातावरण के निर्माण एवं विद्यार्थियों में उच्च आदर्शों की प्रेरणा का संचार करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों एंव महाविद्यालयों में स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति की स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। सभी विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि उक्तानुसार मूर्ति स्थापना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जावे।

<u>निर्णय</u> :– माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तावित किये गये उक्त समस्त बिन्दुओं को

स्वीकार करते हुए समस्त कुलपतिगण को निर्देश प्रदान किये कि स्वामी विवेकानन्द की भव्य मूर्ति की स्थापना दिनांक 21 फरवरी 2017 तक कर ली जावे तथा शेष प्रस्तावों पर अपेक्षानुसार समयावधि में पालना यथाशीघ्र सुनिश्चित की जावे।

कार्यकारी विभाग :– समस्त विश्वविद्यालय

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा आगामी कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक **21 फरवरी 2017** को आयोजित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

13. अन्य बिंदु :

(1) कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा शिक्षकों की कमी के मद्देनजर दृष्टिगत गेस्ट फेकल्टी रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का आग्रह किया। उन्होंने अवगत कराया कि नियमित शिक्षकों के पद रिक्त रहने, सेवानिवृत्त शिक्षकों की अनुपलब्धता से अध्यापन कार्य में कठिनाइयां आ रही है। अतः NET / SLET योग्यताधारी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे,

निर्णय :– माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि जिन भी विश्वविद्यालयों में ऐसी समस्या है, वे अपने प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करें।

कार्यकारी विभाग :– समस्त विश्वविद्यालय

(2) कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग सहित अन्य नये विभाग खोले जाने की स्वीकृतियां प्रदान कराने का आग्रह किया,

निर्णय :– समस्त संबंधित विश्वविद्यालय अपने समुचित प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करें।

14. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय ने अपने समापन संबोधन में निम्नांकित निर्देश प्रदान किये :–

(i) विद्यार्थियों की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता को कड़ाई से लागू किया जावे तथा कम उपस्थिति के संबंध में अभिभावकों को मासिक आधार पर सूचित किए जाने की व्यवस्था की जावे,

(ii) विद्यार्थियों के साथ–साथ शिक्षकों की भी निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित किया जावे,

(iii) कुलपति प्रत्येक 3–4 दिन में विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण करें।

(iv) गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था की जावे। विश्वविद्यालय में शोध कार्य प्रासंगिक व उच्च गुणवत्ता वाला हो,

(v) रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में एक कलेण्डर तैयार किया जाकर विज्ञापन से लेकर नियुक्ति पत्र जारी किए जाने तक का दिनांक–वार लक्ष्य निर्धारित किया जावे,

(vi) अशैक्षणिक पदो के संबंध में समीक्षा की जाकर अति आवश्यक पदों को ही भरे जाने के प्रस्ताव तैयार किये जावें,

(vii) विभिन्न पदों हेतु भर्ती प्रकिया पूर्ण पारदर्शी व शुचितापूर्ण होनी चाहिए,

(viii) प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी एक Placement Policy निर्धारित करें जिसमें विद्यार्थियों को उनकी योग्यतानुसार नियुक्तियां मिलें। भारत सरकार व राज्य सरकार की रोजगारोन्मुखी योजनाओं तथा Startup India, Stand up India, Make in India इत्यादि के अनुरूप स्व–रोजगार के लिए विद्यार्थियों की सहायता की जानी चाहिए। राजस्थान

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित "रोजगार मेले" के अनुरूप समस्त विश्वविद्यालय रोजगार मेले आयोजित करें।

(ix) बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुरूप समयबद्ध कार्यकम के अनुसार यथा समय पूर्ण कियान्विति किये जाए।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

Sd/-

( श्रेया गुहा )
सचिव, राज्यपाल

क्रमांकःएफ.1(10)आरबी/2016/6593 दिनांक 05.08.2016

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को मान0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित है।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को मान0 कृषि एवं पशुपालन मंत्री जी के अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा

क्रमांकःएफ.1(10)आरबी/2016/6594 दिनांक 05अगस्त, 2016

प्रतिलिपि निर्देशानुसार निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही विवरण का पालना प्रतिवेदन यथाशीघ्र भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग (MSME), राजस्थान सरकार, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव, खेल एवं युवा मामलात, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
6. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
7. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
8. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
10. शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
11. शासन सचिव, पशुपालन , मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
12. आयुक्त, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, RSLDC, राज0 सरकार, जयपुर

13. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
14. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
16. कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
17. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
18. कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
19. कुलपति, जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, मदाऊ, पो0 भांकरोटा, जयपुर।
20. कुलपति, सर्वपल्ली डॉ0राधाकृष्णन राज0 आयुर्वेद वि0वि0, जोधपुर।
21. कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
22. कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
23. कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि वि0वि0,बीकानेर।
24. कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्यौगिकी वि0वि0, उदयपुर।
25. कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
26. कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,जयपुर।
27. कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान वि0वि0,बीकानेर।
28. कुलपति, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय वि0वि0,जोधपुर।
29. कुलपति, हरिदेव जोशी जनसंचार एवं पत्रकारिता वि0वि0,जयपुर।
30. कुलपति, पं0 दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी वि0वि0, सीकर।
31. कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
32. कुलपति, महाराजा सूरज मल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर
33. कुलपति, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा
34. कुलपति, राजस्थान कीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं।
35. कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
36. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
37. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा

क्रमांकःएफ.1(10)आरबी/2016/6595 दिनांक 05.08.2016

प्रतिलिपि :–

1. विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक (TW) एवं विशिष्ठ सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, राज भवन, जयपुर
3. निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल, राजस्थान

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा